

दिनांक:-

क्रमांक:- एफ 15 ()2021/गोप्र/प्रमुवस/
निमित्त,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा(कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।
9. निदेशक, परिचालन, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय:- वनपाल की अन्तरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2022 के संबंध में।
संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ 15 ()2022/गोप्र/ प्रमुवस/
392-510/सी दिनांक 27.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार वनपाल की अन्तरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है। उक्त वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की संकलित सूचनार्यें/प्रमाण-पत्र प्रेषित करें :-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र अधीन कार्यालयों में वनपाल (दिनांक 31.03.2022 को कार्यरत एवं दिनांक 31.03.2022 के बाद सेवानिवृत्त/स्वर्गवास आदि कारणों से सेवा से पृथक) उपरोक्त अन्तरिम सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं एवं उनके संबंध में उपरोक्त सूची में अंकित प्रविष्टियां (कॉलम 15 के अतिरिक्त) सही है एवं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	वरिष्ठता क्रमांक	नाम वनपाल	पिता का नाम	वर्ग (एस.सी./एस.टी.)	वर्तमान में कार्यरत (हां/नहीं)	सेवा से भार मुक्त		
							सेवानिवृत्त	स्वर्गवास	अन्य कारण

2. यदि उपरोक्त अन्तरिम वरिष्ठता सूची में वनपाल (दिनांक 31.03.2022 को कार्यरत एवं दिनांक 31.03.2022 के बाद सेवानिवृत्त/स्वर्गवास आदि कारणों से सेवा से पृथक) के नाम सम्मिलित नहीं किये गये हैं तो उनका विवरण अन्तरिम वरिष्ठता सूची के प्रपत्र (कॉलम 15 के अतिरिक्त) में प्रेषित करें।
3. यदि उपरोक्त अन्तरिम वरिष्ठता सूची में कोई संशोधन (कॉलम 15 के अतिरिक्त) की आवश्यकता हो तो मय दस्तावेज तो उनका विवरण अन्तरिम वरिष्ठता सूची के प्रपत्र (कॉलम 15 के अतिरिक्त) में प्रेषित करें।

4. यदि किसी वनपाल के द्वारा सेवा संबंधी कोई वाद किसी न्यायालय में दायर कर रखा है तो उसका नवीनतम विवरण/स्थिति मय दस्तावेज प्रेषित करें।
5. यदि किसी वनपाल के द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यावेदन को नियंत्रण अधिकारी मय टिप्पणी समस्त दस्तावेजों के इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. नियंत्रण अधिकारी कार्मिक विभाग के पत्रांक प.14(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र अपने अधीनस्थ कार्यरत पात्र दिव्यांग कार्मिक वनपालों से प्राप्त कर लेवे। दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत होगा। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.05.2021 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2021 पश्चात दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल निर्दिष्ट यू.डी.आई.डी. पोर्टल से ही जारी किया जाना है। अतः उक्तानुसार ही संबंधित पात्र कार्मिकों दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने उपरांत प्रमाणित कर प्रेषित करावे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 तक सूचनाएँ/प्रमाण-पत्र 7 दिवस में एवं बिन्दु संख्या 5 व 6 के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन/प्रमाण-पत्र दिनांक 13.02.2023 तक इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :- 1. पंचायत समिति में कार्यरत वनपालों के नाम भी सम्मिलित किया जाना है।

2. समस्त कार्यालय स्पष्ट, पठनीय पूर्ण वांछित सूचना परीक्षण करने के उपरांत ही इस कार्यालय को प्रेषित करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्रों को संलग्न नहीं करें।
3. सूचनाएँ राजकीय ई-मेल आई.डी dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात डाक द्वारा उक्त सूचना प्रेषित नहीं करें।

भवदीय,

६०

(राजीव चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ()2021 / गोप्र / प्रमुवस / 557-621/4

दिनांक:- 27/01/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर